



RTI matter/ Time Bound

Government of India
Ministry of External Affairs
New Delhi

No. E/551/1/2020-RTI

03 December 2020

Subject: Information sought under Right to Information Act, 2005

Sir,

Please refer to your RTI application bearing Registration No. MOEAF/R/P/20/00396 addressed to Ministry to RTI cell, Ministry of External Affairs, New Delhi received by this Division on 10 November 2020.

2. It may be noted that under the provisions of RTI Act, 2005, a CPIO/ Public Authority is under obligation to provide an applicant only that information which exists in the records and that which is held by or under the control of that authority.
3. The undersigned CPIO has been requested to provide information with respect to point no. 6 of your query.
4. The information sought is not available with the undersigned CPIO and hence, the application is being transferred to Ministry of Home Affairs under article 6 (3) of the RTI Act, 2005 for providing any information that may be available with them with respect to point no. 6 in your application.
5. If you are aggrieved with this reply, you may file an appeal to Shri Satish K. Sivan, Director (East Asia) & Appellate Authority, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi -110001, within a month from the date of receipt of this letter.

Yours faithfully,

(Karthik G. Iyer)

DS (China) & CPIO
Room no. 270 A, South Block,
New Delhi - 110001
Telefax: 23011356
Email: dschina2@mea.gov.in

CC to:

1. Ms. Deepa Jain, Under Secretary (RTI), MEA, New Delhi
2. Shri. D S Sachdeva, SO(RTI-I), Room no. 96, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi
- 110001.

RTI REQUEST DETAILS (आरटीआई अनुरोध विवरण)

Registration Number (पंजीकरण संख्या) :	MOEAF/R/P/20/00396	Date of Receipt (प्राप्ति की तारीख) :	10/11/2020
Type of Receipt (रसीद का प्रकार) :	Manually Transferred from Other Public Authority without Payment	Language of Request (अनुरोध की भाषा) :	English
Requester Letter Number (निवेदक पत्र संख्या) :	Details not provided	Letter Date :	Details not provided
Is Requester Below Poverty Line ? (क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है?) :	No	Citizenship Status (नागरिकता) :	Indian
Amount Paid (राशि का भुगतान) :	0 (Received by Ministry of External Affairs) (original recipient)	Mode of Payment (भुगतान का प्रकार) :	Details not provided.
Does it concern the life or Liberty of a Person? (क्या यह किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है?) :	No(Normal)	Request Pertains to (अनुरोध निम्नलिखित संबंधित है) :	US (China)
Information Sought (जानकारी मांगी) :	for point no. 6.		
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Close"/>			

(3045)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6C के अंतर्गत सूचना हेतु आवेदन पत्र।

3. जानकारी किससे चाहिए – माननीय श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, महोदय
4. वांछित जानकारी – कृपया जनहित में निम्न जानकारी प्रदाय करने का कष्ट करें।

1. हमारा पड़ोसी देश चीन विस्तारवादी तथा पाकिस्तान आतंकवादी है। दोनों से हमारी शत्रुता है। दोनों न्यूक्लीयर पावर है। अतः यदि दोनों मिलकर भारत के उपर अचानक आक्रमण करें तो इनको पराजित करने की हमारी जो फायर पावर व कूटनीति हो उसकी संक्षिप्त जानकारी प्रदाय करें। क्यो कि इस युद्ध में रुस चीन के साथ तथा अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहेगा।

2. चीन व पाकिस्तान के न्यूक्लीर आर्मस की तुलना में भारत के जो न्यूक्लीयर आर्मस है उनकी जानकारी और उनको बढ़ाने की जो योजना है उसकी जानकारी प्रदाय करने का कष्ट करें।

3. भारत की रक्षा सर्वोपरी है अतः 20 लाख करोड़ के वर्तमान पैकेज में सुरक्षा के लिए जो धनराशि है वो सूचित करने का कष्ट करें।

4. चीन व पाकिस्तान के वर्तमान रक्षा बजट और भारत के वर्तमान रक्षा बजट की जानकारी प्रदाय करें। भारत का रक्षा बजट बढ़ाने की जो योजना हो उनकी जानकारी।

5. चीन से आयात न्यूनतम करने तथा यथा संभव चीन से व्यापार बन्द करने की जो योजना हो उसकी जानकारी प्रदाय करें। यदि नहीं है तो उससे औचित्य की जानकारी प्रदाय करें।

6. चीन ने 1962 से भारत के कितने क्षेत्र में अवेध कब्जा किया है उसकी जानकारी प्रदाय करें।

7. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है ? – नहीं

8. आवेदन शुल्क हेतु पोस्टल आर्डर तथा उत्तर हेतु टिकट सहित लिफाफा संलग्न है।

9. अपीलेंट अधिकारी की जानकारी

नाम व पता देने की कृपा करें। जिससे अधिनियम की धारा – 19 के अंतर्गत अपील की जा सकें।

भारत सरकार (संघीय)
Ministry of Defence (Sectt.)
रक्षा (संघीय) के उपसचिव
Defence Section
28/2/75

JS (Good)

U/RTD

2533
23/2/75

2/7